छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:- https://rera.cgstate.gov.in

क्रमांक ..178..../रेरा/2018 रायपुर, दिनांक 27/04/2018

प्रति,

अध्यक्ष,
केडाई छत्तीसगढ़,
रायपुर

विषय :– ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन दिनांक 21 अप्रैल 2018।

––––00––––––

संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से आपके द्वारा ''ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स'' के रजिस्ट्रेशन के संबंध में दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित नियमों के अनुसार छूट की मांग की गई है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–03, दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर आपको प्रेषित किया जा चुका है। चूँकि दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित नियमों में से नियम 2 (g) को शासन द्वारा दिनांक 09 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना द्वारा विलोपित किया गया है, इसलिए इन विलोपित नियमों के अनुसार ''ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स'' के रजिस्ट्रेशन में छूट दिया जाना संभव नहीं है। अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–03, दिनांक 28.03.2018 के अनुसार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु समुचित कार्यवाही करने छत्तीसगढ़ के सभी प्रमोटर्स को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

27/04/18

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.

Scanned by CamScanner